

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां**  
**No.4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT**

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद विधि द्वारा तय करे, निम्नलिखित के लिए गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2024, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2024 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹356366.78 करोड़ और ₹326912.46 करोड़ थीं।  
 The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2024 were ₹356366.78 crores and ₹326912.46 crores approximately, respectively.

**गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:—**

**The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—**

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्दायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी**  
**No. 4—GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE कृषि और किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture and Farmers Welfare	43500.00 (3)	40500.00 (2)	^3000.00 (1)	^3000.00	—	—	40500.00 (3)	@—	@—	—
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग Department of Financial Services	14009.21 (12)	13167.40 (12)	*841.81	3173.79 (1)	—	—	10835.42 (11)	77.14	^^75.83	—
राजस्व विभाग Department of Revenue	—	@@—	—	—	—	—	—	—	—	—

(करोड़ रुपए में)  
(In crore of rupees)

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	6000.00 (1)	6000.00 (1)	—	—	—	—	6000.00 (1)	**—	**—	—
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)	1381.00 (1)	1346.15 (1)	34.85	—	—	—	1381.00 (1)	13.46	13.46	—
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	1195.83 (4)	1195.83 (4)	—	1156.83 (3)	—	—	39.00 (1)	100.43	\$—	—

\$ कोल इंडिया और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल्स लि. के बकाया को माफ कर दिया है।

\$ Coal India and Oil India Limited have conveyed that they have complete wavier on their dues towards Indian Drugs Pharmaceuticals Ltd.

\*\* उ.खा.सा.वि. मंत्रालय ने अपने दिनांक 04.05.2023 पत्र सं. एफ सं. 22011/1/2017-एफसी II/III के तहत दिनांक 01.04.2023 से आगे की अवधि के लिए फूड क्रेडिट के हेतु ₹6,000 करोड़ आहरण की जमा सीमा पाने के लिए एफसीआई के पक्ष में एकल डिफाल्ट सरकारी गारंटी के विस्तार की सूचना दी।

\*\* Ministry of CAF&D vide its letter No. F.No. 22011/1/2017-FC.II/III dated 04.05.2023 has conveyed, "Extension of the single default Government Guarantee in favour of FCI for availing cash limit of ₹ 6,000 crore for food credit drawn for period of one year beyond 01.04.2023".

^^ आई एफ सी एल की सहायक कंपनी आई आई एफ सी (यूके) के गारंटी शुल्क की प्राप्ति के संबंध में विनिमय दर परिवर्तन के कारण

^^ Due to exchange rate variation towards receipts of Guarantee fees in respect of IIFC(UK) subsidiary of IIFCL.

\* यह राशि उपाार्जित ब्याज/विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।

\* Amount is due to interest accrued/exchange rate fluctuation.

@ वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग बजट प्रभाग ने गारंटी शुल्क को माफ कर दिया है।

@ Guarantee fee has been waived off by the Department of Economic Affairs, Budget Division, Ministry of Finance.

^ नैफेड से ₹3,000 करोड़ की आहरण गारंटी को दिनांक 01.08.2023 से एन.सी.सी.एफ. को दिया गया।

^ Guarantee worth ₹3,000 crore withdrawn from NAFED and given to NCCF with effect from 01.08.2023.

@@ विभाग ने कॉलम सं. 5 में ₹0.01 करोड़ की राशि जोड़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शून्य अंत शेष के साथ संशोधित विवरण प्रस्तुत किया है तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शून्य आरंभिक शेष किया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आरंभिक शेष शून्य माना जाए।

@@ The department has submitted the revised statement for the FY 2022-23 with NIL closing balance by adding the amount ₹0.01 crore in column No. 5 and accordingly taken the NIL opening balance for the FY 2023-24. Therefore opening balance for the FY 2023-24 may be treated as NIL.

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी**  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / ऋणों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां :-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
 MINISTRY OF CHEMICALS  
 AND FERTILISERS

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग  
 Department of Chemical &  
 Petrochemical

— — — — — — — — 8.50 8.50 —

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग Department of Financial Services	5116.36 (11)	3034.50 (1)	2081.86 (10)	—	—	—	5116.36 (11)	8.65	^8.64	—
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	7000.00 (2)	7000.00 (2)	—	—	—	—	7000.00 (2)	70.00	#—	एसएलआर बांड SLR Bond
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	36700.00 (5)	36700.00 (5)	—	—	—	—	36700.00 (5)	—	—	—
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications	45323.66 (13)	36603.67 (11)	8719.99 (2)	2840.00 (3)	—	—	42483.66 (10)	538.78	*324.48	—

\* प्राप्य करोड़ ₹ 538.78 में से एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा क्रमशः ₹ 181.89 करोड़ तथा ₹ 32.41 करोड़ जमा नहीं किए गए हैं।

\* Out of ₹ 538.78 crore receivable, ₹ 181.89 crore and ₹ 32.41 crore were not deposited by MTNL and BSNL respectively.

# वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित डीवीसी का अग्रिम गारंटी शुल्क ₹ 70.00 करोड़ शामिल हैं।

# Guarantee fee of DVC of ₹ 70.00 crore pertaining to the Financial Year 2023-24 has been credited in the Financial Year 2022-23.

^ गारंटी शुल्क ₹ 8.69 करोड़ प्राप्त हुआ लेकिन केवल ₹ 8.64 करोड़ का हिसाब दिया। एनटीआर पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण ₹ 0.05 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया।

^ Guarantee fee of ₹ 8.69 crore was received but only ₹ 8.64 crore was accounted. Balance of ₹ 0.05 crore was not accounted for due to technical issues in NTR Portal.

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी**  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के दौरान अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपए में) (In crore of rupees)
(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियाँ :-										
(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc : -										
नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	15426.66 (4)	15425.01 (4)	1.65	—	—	—	15426.66 (4)	2.00	2.00	—
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	584.86 (3)	579.92 (3)	**4.94	*37.50	—	—	547.36 (3)	5.00	5.00	—
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	38143.85 (41)	36467.11 (41)	1676.74	4329.90	—	—	33813.95 (41)	436.91	440.37	—

वित्त मंत्रालय  
MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	13431.40 (4)	12437.98 (4)	**993.42	26.25	—	—	13405.15 (4)	66.50	^^205.56	—
वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services	86431.74 (342)	67593.93 (325)	**18837.81 (17)	*7850.39 (74)	3562.53	1067.49	73951.33 (268)	93.64	^93.56	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED (NSIC)	48.84 (3)	48.09 (3)	0.75	3.48	—	—	45.36 (3)	0.19	0.19	—

- ^ प्राप्य और प्राप्त गारंटी शुल्क के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा लगाए गए गारंटी शुल्क के भुगतान में देरी के लिए दंड के रूप में नाबार्ड से ₹1.14 करोड़ की प्राप्ति के कारण है और ₹1.22 करोड़ की गारंटी शुल्क को लेखाबद्ध किया जाना है जो एनटीआर पोर्टल में लंबित है।
- ^ Difference between Guarantee Fee receivable and received is due to receipt of ₹1.14 crore from NABARD as penalty for delay in payment of guarantee fee levied by Government of India and Guarantee fee of ₹ 1.22 crore is yet to be accounted which is pending at NTR Portal.
- \* विदेशी विनिमय दर में बदलाव/उतार-चढ़ाव के कारण।
- \* Due to variation/fluctuation in foreign exchange rate.
- \*\* विनिमय दर परिवर्तन शामिल है।
- \*\* Includes exchange rate variation/fluctuation.
- ^^^ प्राप्य और प्राप्त गारंटी शुल्क के बीच अंतर ₹ 139.06 करोड़ की एमएमआरडीए से जुर्माना प्राप्ति के कारण है।
- ^^^ Difference between Guarantee fee receivable and received is due to receipt of penalty from MMRDA amounting to ₹ 139.06 crore.

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी**  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD										
TRANSPORT AND HIGHWAYS	317.78 (1)	312.40 (1)	5.38	117.93	—	—	199.85 (1)	0.78	0.78	—
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	14130.45 (17)	##12378.96 (16)	1751.49 (1)	740.95 (1)	—	—	13389.50 (16)	112.63	*62.21	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	302.95 (2)	302.95 (2)	—	^25.94	—	—	277.01 (2)	0.86	0.86	—

(करोड़ रुपए में)  
(In crore of rupees)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT

OF COMMERCE

761.53	657.08	104.45	205.24	—	—	556.29	6.57	#—	—
(1)	(1)					(1)			

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND

URBAN AFFAIRS

773.45	765.14	8.31	109.56	—	—	663.89	9.17	9.16	—
(3)	(3)		(1)			(2)			

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

10612.89	8970.64	^1642.25	@659.70	—	—	9953.19	107.65	107.65	—
(3)	(2)	(1)				(3)			

^ विनिमय दर में बदलाव के कारण।

^ Due to exchange rate variation.

# 2023-24 में प्राप्य ₹6.57Crore करोड़ गारंटी शुल्क प्राप्त हो गया और 2022-23 में हिसाब में लिया गया।

# ₹6.57Crore Guarantee fee receivable in 2023-24 received and accounted in 2022-23 .

^^ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1512.90 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण और ₹129.35 करोड़ का विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।

^^ Includes additional disbursement of ₹1512.90 crore during FY 2023-24 and foreign exchange rate fluctuation of ₹129.35 crore.

@ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राशि चुकाई गई।

@ Amount repaid during FY 2022-23.

## ₹255.57 करोड़ का अंत शेष और आरंभिक शेष का अंतर विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।

## The difference between closing balance and opening balance of ₹255.57 crore is due to exchange rate variation.

\* प्राप्य और प्राप्त के बीच के अंतर का कारण है

\* The difference between receivable and received due to :-

- पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने गारंटी शुल्क (दांडिक प्रभार) के निलंबित प्रकार क्रमशः ₹1.07 करोड़ और ₹1.38 करोड़ का भुगतान किया है।
- Punjab National Bank and State Bank of India have paid the delayed charges of guarantee fee (panel charges) of ₹1.07 crore and ₹1.38 crore respectively.
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इरोडा द्वारा 31.03.2023 को ₹85.25 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया।
- Guarantee fee for the Financial Year 2023-24, ₹85.25 crore paid by IREDA in advance on 31.03.2023.

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी**  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(करोड़ रुपए में)  
(In crore of rupees)

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/ दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के संबंध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियाँ :-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

— शून्य / NIL —

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियाँ:-

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL

AFFAIRS

15174.32

(7)

12551.46

(7)

\*\*2622.86

546.84

—

—

14627.48

(7)

\*—

\*—

—

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

(viii) कोई अन्य —

(viii) Any Other: —

—शून्य / NIL —

\* विदेश मंत्रालय ने बंगलादेश और नेपाल में परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए द्विपक्षीय वचनबद्धता के रूप में इन देशों के लिए रियायती दर पर ऋण व्यवस्था चालू की है। एलओसी भारत सरकार के एक विनिर्दिष्ट संस्था, जिसका नाम एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया है, के जरिए शुरू की है। प्राप्तकर्ता सरकार से किसी गलती होने की स्थिति में एक्सिम बैंक को बचाव के रूप में गारंटी मुहैया कराई गई है। अतः एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया से ऋण व्यवस्था के लिए कोई गारंटी शुल्क अथवा कमीशन नहीं लिया गया है क्योंकि भारत सरकार द्वारा एक्सिम बैंक को ऋण प्राप्तकर्ता सरकार को रियायती ऋण देने के लिए गारंटी दी गई है।

\* MEA has extended Lines of Credit to Bangladesh and Nepal at a concessional rate as a bilateral commitment for development assistance projects in these countries. The LOCs are extended through a Government of India designated institution, namely Exim Bank of India. The guarantee is provided to Exim Bank as a cushion against the unlikely event of a default from the recipient Government. Hence no guarantee fee or commission is charged on Lines of Credit from the Exim Bank of India as the guarantee is given by the Government of India to Exim Bank to offer concessional finance to borrowing Government.

\*\* विनिमय दर में बदलाव के कारण।

\*\* Due to exchange rate variation.

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)  
**GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)**  
**(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24— के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—**  
**(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24 : -**

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year उन्मोचित Discharged	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					अननुमोचित Not Discharged			प्राप्त की गई Received	
								प्राप्त की गई Received	

(करोड़ रुपए में)  
(In crore of rupees)

**क्षेत्र – (i) – विद्युत**  
**Sector - (i) - Power**

**वर्ग—(ii)** शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

**Class - (ii)** Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय									
MINISTRY OF POWER	7000.00	7000.00	—	—	—	—	7000.00	70.00	—
	(2)	(2)					(2)		

**वर्ग—(iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

**Class – (iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	38143.85 (41)	36467.11 (41)	1676.74	4329.90	—	—	33813.95 (41)	436.91	440.37
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	14130.45 (17)	12378.96 (16)	1751.49 (1)	740.95 (1)	—	—	13389.50 (16)	112.63	62.21
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	584.86 (3)	579.92 (3)	4.94	37.50	—	—	547.36 (3)	5.00	5.00

**क्षेत्र – (ii) – सहकारी समिति**

**Sector - (ii) - Co-operative**

**वर्ग—(i)** भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्भदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

**Class - (i)** Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF  
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

कृषि और किसान कल्याण विभाग

Department of

Agriculture and  
Farmers Welfare

42000.00  
(2)

39000.00  
(1)

3000.00  
(1)

3000.00

—

—

39000.00  
(2)

—

—

**क्षेत्र – (iii) – सिंचाई**

**Sector - (iii) - Irrigation**

**वर्ग—(i)** भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्भदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

**Class - (i)** Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी  
**GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.**  
**(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—**  
**(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24 : —**

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपए में)  
(In crore of rupees)

**वर्ग – (iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

**Class – (iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Financial Services	103.33	103.33	—	81.52	—	—	21.81	0.98	0.98
	(1)	(1)		(1)					

**क्षेत्र – (iv) – सड़क और परिवहन**

**Sector - (iv) - Road and Transport**

**वर्ग – (ii)** शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:— शून्य

**Class - (ii)** Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:— शून्य / NIL —

**वर्ग—(iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां—

**Class - (iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS	10612.89 (3)	8970.64 (2)	1642.25 (1)	659.70	—	—	9953.19 (3)	107.65	107.65
----------------------	-----------------	----------------	----------------	--------	---	---	----------------	--------	--------

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION	15426.66 (4)	15425.01 (4)	1.65	—	—	—	15426.66 (4)	2.00	2.00
----------------------------	-----------------	-----------------	------	---	---	---	-----------------	------	------

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	317.78 (1)	312.40 (1)	5.38	117.93	—	—	199.85 (1)	0.78	0.78
-----------------------------------------	---------------	---------------	------	--------	---	---	---------------	------	------

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	13341.05 (3)	12347.63 (3)	993.42	4.94	—	—	13336.11 (3)	66.50	205.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------	---	---	-----------------	-------	--------

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	771.92 (2)	763.61 (2)	8.31	108.03	—	—	663.89 (2)	9.17	9.16
---------------------------------------	---------------	---------------	------	--------	---	---	---------------	------	------

(viii) कोई अन्य —

(viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

क्षेत्र — (v) — राज्य वित्तीय निगम

Sector - (v) - State Financial Corporations

— शून्य / NIL —

## वित्त लेखे, संघ सरकार

## FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24 : —

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्त की गई Receivable
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10

(करोड़ रुपए में)  
(In crore of rupees)क्षेत्र — (vi) — शहरी विकास और आवासन  
Sector - (vi) - Urban Development and Housing

**वर्ग—(iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

**Class - (iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
MINISTRY OF HOUSING AND  
URBAN AFFAIRS

1.53  
(1)1.53  
(1)

—

1.53  
(1)

—

—

—

—

—

**क्षेत्र – (vii) – अन्य अवसंरचना**  
**Sector - (vii) - Other Infrastructure**

**वर्ग—(iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां—

**Class-(iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	90.35	90.35	—	21.31	—	—	69.04	—	—
	(1)	(1)					(1)		

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Financial Services	453.79	453.79	—	474.29	—	—	-20.50	5.71	6.85
	(5)	(5)		(5)					

**क्षेत्र – (viii) – कोई अन्य**

**Sector - (viii) - Any Other**

**वर्ग—(i)** भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

**Class - (i)** Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

कृषि और किसान कल्याण विभाग

Department of Agriculture and Farmers Welfare	1500.00	1500.00	—	—	—	—	1500.00	—	—
	(1)	(1)					(1)		

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी  
**GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.**  
**(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—**  
**(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24 :—**

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	6000.00 (1)	6000.00 (1)	—	—	—	—	6000.00 (1)	—	—
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)	1381.00 (1)	1346.15 (1)	34.85	—	—	—	1381.00 (1)	13.46	13.46
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	1195.83 (4)	1195.83 (4)	—	1156.83 (3)	—	—	39.00 (1)	100.43	—

(करोड़ रुपए में)  
(In crore of rupees)

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

वित्तीय सेवाएँ विभाग

Department of Financial Services	14009.21 (12)	13167.40 (12)	841.81	3173.79 (1)	—	—	10835.42 (11)	77.14	75.83
----------------------------------	------------------	------------------	--------	----------------	---	---	------------------	-------	-------

**वर्ग—(ii)** शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कजों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

**Class - (ii)** Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER

AFFAIRS, FOOD AND

PUBLIC DISTRIBUTION

36700.00 (5)	36700.00 (5)	—	—	—	—	36700.00 (5)	—	—
-----------------	-----------------	---	---	---	---	-----------------	---	---

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

AND INFORMATION TECHNOLOGY

दूरसंचार विभाग

Department of Telecommunications	45323.66 (13)	36603.67 (11)	8719.99 (2)	2840.00 (3)	—	—	42483.66 (10)	538.78	324.48
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---	---	------------------	--------	--------

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

MINISTRY OF CHEMICALS

AND FERTILIZERS

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

Department of Chemical & Petrochemical	—	—	—	—	—	—	—	8.50	8.50
-------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

वित्तीय सेवाएँ विभाग

Department of Financial Services	5116.36 (11)	3034.50 (1)	2081.86 (10)	—	—	—	5116.36 (11)	8.65	8.64
----------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	---	---	---	-----------------	------	------

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी  
**GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.**  
**(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—**  
**(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24 :-**

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के इतर)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged			
								प्रोप्य की गई	प्राप्त की गई
								Receivable	Received
									(करोड़ रुपए में)
									(In crore of rupees)
<b>वर्ग—(iii)</b> भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्दायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि को क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—									
<b>Class-(iii)</b> Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc :-									
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	302.95 (2)	302.95 (2)	—	25.94	—	—	277.01 (2)	0.86	0.86
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NATIONAL SMALL INDUSTRIES - CORPORATION LIMITED (NSIC)	48.84 (3)	48.09 (3)	0.75	3.48	—	—	45.36 (3)	0.19	0.19

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

वित्तीय सेवाएँ विभाग

Department of Financial Services	85874.62	67036.81	18837.81	7294.58	3562.53	1067.49	73950.02	86.95	85.73
	(336)	(319)	(17)	(68)			(268)		

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

वाणिज्य विभाग

Department of Commerce	761.53	657.08	104.45	205.24	—	—	556.29	6.57	—
	(1)	(1)					(1)		

वर्ग—(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:—

Class-(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL

AFFAIRS

	15174.32	12551.46	2622.86	546.84	—	—	14627.48	—	—
	(7)	(7)					(7)		

## वित्त लेखे, संघ सरकार

## FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :-

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24: -

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
- (ii) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)

(करोड़ रुप में)

(In crore of rupees)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण विभाग	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	हाँ	एमपीएस अनुभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का सहकारिता प्रभाग, नई दिल्ली	शून्य
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE Department of Agriculture and Farmers Welfare	#	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	MPS Section, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare Division of DAC, New Delhi	Nil

वित्त मंत्रालय  
MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग Department of Revenue	#	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	—
वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services	#	नहीं No	नहीं No	लागू नहीं N.A.	10835.42	लागू नहीं NA	हाँ संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, डीईए Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ अवर सचिव (एफसीआई), कृषि भवन, नई दिल्ली	—	
MINISTRY OF CONSUMER, AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	No	Yes in DDG US (FCI), Krishi Bhawan,	—	
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY									
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)	#	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	डीपीआईआईटी (एमएसएमई) DPIIT MSME	शून्य Nil
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS									
औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	#	नहीं No	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	हाँ निदेशक (पीएसयू) आईडीपीएल Yes Dir (PSU) IDPL		

# वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा गारंटियों के मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।  
# Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

## वित्त लेखे, संघ सरकार

## FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)

(करोड़ रुपए में)

(In crore of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
MINISTRY OF CHEMICALS  
AND FERTILIZERS

रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	#	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	हाँ	निदेशक (सीएच-II)	
Department of Chemical & Petrochemical	#	No	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	Dir (CH-II)	—

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE										
वित्तीय सेवाएं विभाग		नहीं	नहीं	लागू नहीं	5116.36	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, डीईए		
Department of Financial Services	#	No	No	N.A.	5116.36	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—	
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	#	शून्य	नहीं	शून्य	7000.00	शून्य	हाँ	विद्युत मंत्रालय	शून्य	
	#	Nil	No	Nil	7000.00	Nil	Yes	Ministry of Power	Nil	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	अवर सचिव (एफसीआई) एवं अवर सचिव (सीडब्ल्यूसी)	—	
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	Yes	Yes in DDG	US (FCI) and US (CWC)	—	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	#	विभाग द्वारा ऐसी कोई निधि नहीं बनाई गई है			प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	हाँ	उप महानिदेशक (एसयू) के अधीन कारखाना अनुभाग, दूरसंचार विभाग, संचार भवन	—	
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY	#	No such fund created by the Deptt			Does not arise	Does not arise	Yes	Factory Section under Dy. Dir. General (PM), DoT, Sanchar Bhawan	—	
Department of Telecommunications	#	No such fund created by the Deptt			Does not arise	Does not arise	Yes	Factory Section under Dy. Dir. General (PM), DoT, Sanchar Bhawan	—	

# वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।

# Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

## वित्त लेखे, संघ सरकार

## FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)

(करोड़ रुपए में)

(In crore of rupees)

(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:—

(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

नागर विमानन मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	31.59	हाँ	हाँ	वित्त-I अनुभाग, राजीव गांधी भवन, नागर विमानन मंत्रालय	—
MINISTRY OF CIVIL AVIATION	#	No	NA	NA	31.59	Yes	Yes	Finance-I Section, Rajiv Gandhi Bhawan, M/o Civil Aviation	—

कोयला मंत्रालय	#	367.23	शून्य	369.21	547.36	शून्य	हाँ	निदेशक (वित्त)	—
MINISTRY OF COAL	#	367.23	Nil	369.21	547.36	Nil	Yes	Dy.Secretary(IFD) M/o Coal	—
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	199.85	शून्य	हाँ	महानिदेशक (सड़क परिवहन और राजमार्ग), नई दिल्ली	शून्य
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	#	Nil	Nil	Nil	199.85	Nil	Yes	DG (RTH), New Delhi	Nil
विद्युत मंत्रालय	#	शून्य	नहीं	शून्य	33813.95	शून्य	हाँ	विद्युत मंत्रालय	शून्य
MINISTRY OF POWER	#	Nil	No	Nil	33813.95	Nil	Yes	Ministry of Power	Nil
वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	#	हाँ 8621.79	नहीं	8621.79	13405.15	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव(बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	—
MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	#	Yes 8621.79	No	8621.79	13405.15	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—
वित्तीय सेवाएं विभाग	#	शून्य	नहीं	शून्य	73951.33	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	—
Department of Financial Services	#	Nil	No	Nil	73951.33	N.A.	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	48.09	शून्य	नहीं	एनएसआईसी	शून्य
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	#	शून्य	शून्य	शून्य	48.09	शून्य	नहीं	एमएसएमई	शून्य
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES	#	Nil	Nil	Nil	48.09	Nil	No	NSIC MSME	Nil
NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED (NSIC)	#	Nil	Nil	Nil	48.09	Nil	No	NSIC MSME	Nil

# वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।  
# Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

## वित्त लेखे, संघ सरकार

## FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	#	नहीं	नहीं	नहीं	13389.50	नहीं	हाँ	श्री तरुण सिंह और श्री एच.सी. बोरा, वैज्ञानिक 'घ' एमएनआरई, लोदी रोड, नई दिल्ली-03	—
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	#	No	No	No	13389.50	No	Yes	Sh.Tarun Singh and Sh. H C Borah, Scientist 'D', MNRE, Lodi Road, New Delhi-03	—

(करोड़ रुपए में)

(In crore of rupees)

इस्पात मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	277.01	नहीं	हाँ	मंत्रालय में संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का परियोजना अनुभाग	—	75
MINISTRY OF STEEL	#	Nil	Nil	Nil	277.01	No	Yes	Project Section of the concerned PSU in the Ministry	—	
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY										
वाणिज्य विभाग	#	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं	हाँ	अवर सचिव (आईएफडी वाणिज्य विभाग) नई दिल्ली	—	
Department of Commerce	#	No	No	No	No	NIL	Yes	US (IFD Department of Commerce) New Delhi.	—	
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	#	शून्य	नहीं	—	663.89	लागू नहीं	हाँ	एए (हुडको) एवं दिल्ली प्रभाग (एनसीआरपीबी)	—	
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	#	Nil	No	—	663.89	NA	Yes	AA(HUDCO) & Delhi Division (NCRPB)	—	

# वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।  
# Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

## वित्त लेखे, संघ सरकार

## FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)-समाप्त

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Concl'd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:-

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2023-24: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(क) (a)		(ख) (b)		(ग) (c)	(घ) (d)	(ङ) (e)	(च) (f)	(छ) (g)
रेल मंत्रालय	#	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	शून्य	लागू नहीं
MINISTRY OF RAILWAYS	#	NA	NA	NA	NA	NA	Yes	NIL	NA

(करोड़ रुपए में)  
(In crore of rupees)

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां: -

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

—शून्य—  
-Nil-

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:-  
 (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

—शून्य—  
-Nil-

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-  
 (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

विदेश मंत्रालय	#	नहीं	शून्य	लागू नहीं	14627.48	शून्य	नहीं	डीपीए-1, विदेश मंत्रालय	—
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	#	No	Nil	NA	14627.48	Nil	No	DPA-I, MEA	—

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-  
 (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries: —

—शून्य—  
-Nil-

- (viii) कोई अन्य :-  
 (viii) Any Other : —

—शून्य—  
-Nil-

---

# वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।  
 # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

